न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 52/2025
किस्म :– वाद
दायर दिनांक : 23.04.2025

अनवान

1. केशुलाल उर्फ किशोर कुमावत पिता अम्बालाल जाति कुमावत निवासी भुरवाडा थाना रेलमगरा जिला राजसमंद

.....**वादी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज.)

.....**प्रतिवादी**

वाद बाबत् स्वत्व घोषणा व ईन्द्राज दुरूस्ती एवं राजस्व अभिलेख में सही अंकन बाबत्।

उपस्थित – वादी की ओर से :– अधिवक्ता घनश्यामसिंह चौहान

निर्णय

दिनांक 29.01.2026

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 136 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भुरवाडा पटवार हल्का चौकड़ी, तहसील रेलमगरा में निम्न कृषि भूमियां संयुक्त खातेदारी में खाता संख्या 218 में आराजी संख्या 236, 248, 249, 250, 06, 07, 74, 75, 76, 08, 922, 989 कुल किता 12 कुल रकबा 4.2575 हैक्टेयर, खाता संख्या 111 के आराजी नम्बर 899 कुल किता 01 कुल रकबा 0.7365 हैक्टेयर, खाता संख्या 181 के आराजी नम्बर 69 रकबा 0.0324, खाता संख्या 110 के आराजी संख्या 1079/48, 1080/49 रकबा 0.0162 कुल किता 02 कुल रकबा 0.0486, खाता संख्या 64 के आराजी नम्बर 04 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0405 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजी में वादी का नाम केषुलाल पिता अम्बालाल के नाम से दर्ज है। जबकि वादी का नाम केषुलाल व किषोर कुमावत है व वादी को किषोर कुमावत पिता अम्बालाल उर्फ केषुलाल पिता अम्बालाल के नाम से ही जाना व माना जाता है। केशुलाल व किशोर कुमावत वादी के ही नाम है इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति गांव भुरवाडा में नहीं है। वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में किशोर कुमावत उर्फ केशुलाल अंकन होना चाहिये था लेकिन केवल मात्र केशुलाल अंकन हो गया। जबकि वादी के समस्त दस्तावेजो में वादी का नाम किशोर कुमावत ही दर्ज है जिनमें वादी के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड सभी में किशोर कुमावत पिता अम्बालाल के नाम से ही वादी का नाम अंकन है। खातेदार केशुलाल एवं वादी एक ही व्यक्ति है। इस नाम की ओर कोई व्यक्ति गांव भुरवाड़ा में नहीं है। वादी को अभी अपनी जमावंदियो की नकलो की आवश्यकता हुई उसमें पटवारी हल्का से जानकारी हुई कि वादी का नाम राजस्व अभिलेख में उक्त आराजीयात् में किशोर कुमावत की बजाय केवल मात्र केशुलाल दर्ज है जिससे वादी ने राजस्व अभिलेख में नाम सुधारने हेतु पटवारी हल्का को कहां तो वादी को मौखिक रूप से यह बताया गया कि यहां पर इस तरह से नाम नही सुधारा जा सकता है। तहसील में जाना वहां तुम्हारा नाम सुधर जायेगा। इसके बाद वादी प्रतिवादी के यहां बार बार जाता रहा तो वादी का नाम नही सुधारा गया व आज से एक माह पूर्व अन्तिम बार वादी प्रतिवादी के यहा जाकर राजस्व अभिलेख में केशुलाल पिता अम्बालाल की जगह केशुलाल उर्फ किशोर कुमावत पिता अम्बालाल अपना नाम अंकन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने कहा कि इसके लिए वादी को घोषणा राजस्व अभिलेख में सही अंकन व ईन्द्राज दुरूस्ती का वाद सहायक कलक्टर महोदय के न्यायालय में लगाना होगा। जिससे वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि अपने नाम केशुलाल उर्फ किशोर कुमावत पिता अम्बालाल को राजस्व अभिलेख में केशुलाल पिता अम्बालाल के बजाय दर्ज कराने कराने हेतु वाद प्रस्तुत करे। जिससे इस निमित वादी का यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जिससे वादी के लिए उक्त वाद लाना ही आवश्यक हो गया है। वादी ने इस बाबत् प्रतिवादी को नाम सुधारने हेतु कहा व ईन्द्राज को दुरूस्त करने व राजस्व अभिलेख में सही अंकन करने बाबत् कहा तो प्रतिवादी ने मना कर दिया व वाद के जरिये ही नाम सुधारने को कहा व अन्तिम बार आज से एक माह पूर्व वादी ने प्रतिवादी को अपना सही नाम अंकन केशुलाल पिता अम्बालाल की बजाय केशुलाल उर्फ किशोर कुमावत पिता अम्बालाल राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने मना कर दिया। तब से अन्तिम बार वादी का वाद हेतु उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादी का वाद विरूद्ध राजस्थान राज्य तहसीलदार महोदय के विरुद्ध प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का सूचना पत्र देना होता है लेकिन प्रतिवादी ने मौखिक रूप से मना कर दिया व मामला वादी को लोन लेना आवश्यक को होने से आवश्यक प्रकृति का पाया जाने से धारा 80 (2) का प्रार्थना पत्र वाद की स्वीकृति बाबत् वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी की उक्त आराजीयात ग्राम भुरवाडा पटवार हल्का चौकडी तहसील क्षेत्र रेलमगरा में स्थित होने से व वाद राजस्व अभिलेख में अपने पिता का नाम सही अंकन कराने व ईन्द्राज दुरूस्ती तथा घोषणा का होने से उक्त वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको है। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आपय की डिक्री पारित फरमाई जावें कि वादीपत्र की कलम संख्या

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

01 में वर्णित आराजीयात में वादी का नाम केपुलाल पिता अम्बालाल है के बजाय घोषणा के जरिये राजस्व अभिलेख में केपुलाल उर्फ किषोर कुमावत पिता अम्बालाल अर्थात् वादी का नाम केपुलाल उर्फ किषोर कुमावत राजस्व अभिलेखों में अंकन फरमाया जावें। अन्य कोई समुचित सहायता जो वादी प्राप्त करने का अधिकारी दिलाई जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी को जरिये समन जारी किये गये। प्रतिवादी के समन वाद तामील प्राप्त । तहसीलदार रेलमगरा ने जवाव पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। न्यायहित में अवसर दिये गए। बावजूद सूचना जवाब पेश नहीं करने पर जवाव बंद किया जाता हैं। वादी द्वारा गवाह बयान में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पेश किए गए। जो निम्नानुसार हैं – पीडब्ल्यू – 1 (केशुलाल उर्फ किशोर), पीडब्ल्यू – 2 (भैरूलाल पिता मोहनलाल) व पीडब्ल्यू – 3 (भैरूलाल पिता नानालाल) द्वारा बयान में कहा गया कि वाद पत्र में वर्णित खाता संख्या 264 की वर्तमान जमांबदी प्रदर्श 1 प्रस्तुत की जिसके आराजी संख्या 04 होकर उसका नवशा ट्रेस प्रदर्श 2 है। खाता संख्या 218 की जमाबंदी प्रदर्श 3 एवं नक्शा ट्रेस प्रदर्श 4 से लगायत प्रदर्श 15 है एवं खाता संख्या 111 की जमाबंदी प्रदर्श 16 व नक्शा ट्रेस प्रदर्श 17 है। खाता संख्या 181 की जमाबंदी की नकल प्रदर्श 18 व नक्शा ट्रेस प्रदर्श 19 है। खाता संख्या 110 की जमाबंदी की नकल प्रदर्श 20 व नक्शा ट्रेस प्रदर्श 21 व 22 है। आधार कार्ड की प्रति प्रदर्श 23 व भामाशाह कार्ड की प्रति प्रदर्श 24, जनाधार कार्ड की प्रति प्रदर्श 25 एवं पहचान पत्र प्रदर्श 26 तथा ग्राम पंचायत चौकडी द्वारा जारी शुद्वी प्रमाण पत्र प्रदर्श 27 है। वादी के का नाम विवादग्रस्त खाता संख्या में वादी का नाम किशोर कुमावत उर्फ केशुलाल अंकन होना चाहिए था। लेकिन केवल मात्र केशुलाल अंकन हो गया।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह ताईद हैं कि केशुलाल पिता अम्बालाल तथा केशुलाल उर्फ किशोर कुमावत पिता अम्बालाल दोनों अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति है। वादी केशुलाल पिता अम्बालाल तथा केशुलाल उर्फ किषोर कुमावत पिता अम्बालाल किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी की प्रमाणित नकल, आधार कार्ड, पहचान पत्र की प्रति, पेनकार्ड की प्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत चौकड़ी पंचायत समिति रेलमगरा द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति में वादी का नाम किशोर कुमावत है।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, साक्ष्य वादी एवं एकपक्षीय बहस का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है कि:–

:: आदेश ::

वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। राजस्व गांव ग्राम भुरवाडा पटवार हल्का चौकड़ी, तहसील रेलमगरा में निम्न कृषि भूमियां संयुक्त खातेदारी में खाता संख्या 218, 111, 181, 110, 64 में केशुलाल पिता अम्बालाल की बजाय किशोर कुमावत उर्फ केशुलाल पिता अम्बालाल दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदराम हो। डिक्री पर्चा जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

यह निर्णय आज दिनांक को 29.01.2026 को न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

(बिन्दु बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
जिला राजसमंद

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 व 7)
(Civil Procedure Code Appendix - D)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती बिन्दु बाला राजावत, (आर.ए.एस.)
पत्रावली संख्या :– 52 / 2025
किस्म :– राजस्व वाद
दायर दिनांक :– 23.04.2025
निर्णय दिनांक :– 29.01.2026

अनवान

केशुलाल उर्फ किशोर कुमावत पिता अम्बालाल जाति कुमावत निवासी भुरवाडा थाना रेलमगरा जिला राजसमंद .....वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज.)

.....प्रतिवादी

वाद बाबत् स्वत्व घोषणा व ईन्द्राज दुरूस्ती एवं राजस्व अभिलेख में सही अंकन बाबत्।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे हाजरी श्री घनश्यामसिंह चौहान, अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुद्दई व ..... मिनजानिब मुहायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। राजस्व गांव ग्राम भुरवाडा पटवार हल्का चौकड़ी, तहसील रेलमगरा में निम्न कृषि भूमियां संयुक्त खातेदारी में खाता संख्या 218, 111, 181, 110, 64 में केशुलाल पिता अम्बालाल की बजाय किशोर कुमावत उर्फ केशुलाल पिता अम्बालाल दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमलद्राम हो। तद्नुसार तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पालना की जावें।

नीज – ..... – .... मुबलिज – ..... – .... बाबत् – ..... – .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व श्शहर – ..... – .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक – ..... – .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.01.2026 को जारी की गई।

(बिन्दु बाला राजावत, RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी रेलमगरा (राजसमंद)

मुदई पैसा	रूपया पैसा	मुदयलह	रूपया
स्टाम्प अजीनामा	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प हाजरी		
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान्		
खर्चा गवाहान्	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक	मिलान		

नोट – इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फेरिकेन का चाहे किसी के जरिये वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा वहन किया जाएगा।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी रेलमगरा (राजसमंद)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा